स्थायी वारंट तामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना छाल द्वारा छेड़छाड़ के मामले के फरार स्थायी वारंट मयाराम राठिया पिता लोकनाथ राठिया उम्र 22 वर्ष निवासी मुनुन्द थाना छाल को आज दिनांक 08.07.19 को हिरासत में लेकर न्यायालय पेश किया। मयाराम राठिया के विरूद्ध माननीय जे.एम.एफ.सी न्यायालय धरमजयगढ़ द्वारा थाना छाल के अप.क्र. 80/12 धारा 451, 354 भादंवि में बेम्यादी वारंट जारी किया गया था।

खुड़खुड़िया पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा व पूंजीपथरा पुलिस द्वारा खुडखुडिया पट्टी पर जुआ खेल रहे लोगों को घेराबंदी कर रेड किया गया। लैलूंगा पुलिस ने ग्राम कोडासिया के कुस्यारीपारा चौक के पास गैंस सिलेंडर की रोशनी में खुडखुडिया पर जुआ खेलते (1) हिमांशु साहू पिता स्व0 हलधर साहू उम्र 42 साल साकिन मुडागांव (2) शकिल खान पिता शबीर खान उम्र 19 साल साकिन तारागढ (3) इंदु मोहमद पिता सुबेदार खान उम्र 35 साल सा0 तारागढ के फड एवं पास से जुमला रकम 6000 रूपये एवं खुडखुडिया जुआ की सामाग्री जप्त किये हैं। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ग्राम भुईकुर्री में खुडखुडिया पट्टी पर जुआ खेलाने वाले अनादी प्रधान पिता स्व0 रवि शंकर प्रधान उम्र 25 वर्ष सा0 सराईपाली थाना पूंजीपथरा को रेड कर पकडे, जुआ खेलने वाले पुलिस को आता देख भाग गये। पुलिस ने अनादी प्रधान से खुडखुडिया जुआ की सामग्री और नगदी 480 रूपये जप्त किये हैं।

सड़क दुर्घटना अज्ञात पुरूष की मौत

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में ग्राम बंजारी के सरपंच खेमलाल खुंटे पिता स्व. भोन्दू राम खुंटे द्वारा मेन रोड ग्राम बंजारी के फाटक पास किसी अज्ञात वाहन के चालक द्वारा अज्ञात पुरूष उम्र करीब 25-30 साल के व्यकित को ठोंकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। अज्ञात व्यक्ति का शव रोड में पडा हुआ था, जिसकी पहचान नहीं हो पायी है। रिपोर्टकर्ता खेमलाल खूंटे के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 302/19 धारा 304(ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अंधे कत्ल के मामले में जुटमिल पुलिस ने अपचारी बालक सहित 5 आरोपीगण को किया गिरफ्तार

जुटमिल पुलिस के सक्रिय ने घटना के चंद घंटो अंदर आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

न्याय साक्षी/रायगढ़। मंगलवार को पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत राजीव गांधीनगर में मिले युवक विमल सारथी के हत्या की गुत्थी को जुटमिल पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में एक अपचारी बालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होने विमल सारथी की हत्या करना स्वीकार किये हैं।

जानकारी के अनुसार राजीवगांधी नगर के पार्षद पति हरिटंडन द्वारा मायाराम कर्ष के घर सामने एक अज्ञात पुरूष उम्र करीब 30 वर्ष का शव पडे रहने की सूचना चौकी प्रभारी जुटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा को दिया गया। जिसकी सूचना जुटमिल प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी, सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश सिंह ठाकुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री आर.के. पैंकरा, थाना प्रभारी कोतवाली, चौकी प्रभारी जूटमिल एवं जूटमिल स्टॉफ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर अज्ञात पुरूष का शव खून में लथपथ पड़ा हुआ मिला जिसके बदन पर अण्डरवियर और शेण्डो बनियान पहने हुये है। शव के चेहरे तथा बांये कान के ऊपर गहरा चोट तथा मारपीट के निशान थे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का होना पाये जाने पर मौके पर मर्ग पंचनामा कर धारा 302 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। घटनास्थल पर मौजूद आसपास के लोगों ने जब मृतक के शव को नहीं पहचाना तब पहली समस्या अज्ञात मृतक के वरिशानों की पतासाजी की थी। वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर चौकी प्रभारी जुटमिल तथा स्टाफ के द्वारा मृतक के वारिशानों की पतासाजी के लिये फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल कर किया गया। इसी दरम्यान एक श्रमिक द्वारा मृतक की पहचान विमल सारथी निवासी ग्राम छोटे भंडार के रूप में किया जिसकी तस्दीक के लिये मृतक के पिता दूजेराम सारथी को तलब किया गया,

दूजेराम सारथी ने मरच्युरी में शव को देखकर उसकी शिनाख्तगी अपने पुत्र विमल सारथी उम्र 25 वर्ष निवासी छोटे भंडार थाना पुसौर के रूप में किया।

अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी के बाद जुटमिल पुलिस द्वारा अपने सक्रिय मुखबिरों से जानकारी जुटाया गया जिसमें एक मुखबिर से सूचना मिला कि दिनांक 08.0719 के रात्रि 10 से 11 बजे के बीच में दुर्गा चौक में संजू कुर्रे, नानू बाबू उर्फ संतोष चौहान एवं सतीश दास महंत द्वारा मृतक (विमल सारथी) से लड़ाई झगड़ा मारपीट किए हैं, तीनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इस दौरान आरोपीगणों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताए कि दिनांक 08.07.19 के रात्रि 10:00 से 11:00 के बीच सभी दुर्गा चौक के पास खड़े थे, सभी नशे में थे। उसी समय मृतक (विमल सारथी) नशे की हालत में आकर गाली-गलौच कर रहा था, जिसे कहां का रहने वाला है और किसे गाली गलौज कर रहा है बोलने पर मृतक (विमल सारथी) ने अपना नाम बताते हुए छोटे भंडार का रहने वाला हूं ÷जो सुन रहा है उसी को गाली दे रहा हूं÷ बोला। इसी बात पर आरोपीगणों ने विमल सारथी के साथ मारपीट किये, मारपीट से बचने के लिए विमल सारथी वहां से राजीव गांधीनगर की ओर भागने लगा जिसका पीछा करते हुये तीनों बल्ला दुकान के पास पहुंचे जहां कपिल सोनी एवं अपचारी बालक (उम्र 16 साल)* ने विमल सारथी को दौडाते देख पूछे क्या हो गया कहां का रहने वाला है। तब तीनों बोले कि बाहर का है मोहल्ले में आकर गाली-गलौज कर रहा है। तब कपिल और अपचारी बालक भी उनके साथ मिलकर विमल को दौडाने लगे। तभी विमल मिट्ठूमुडा तालाब के पानी में कहीं छिप गया।

करीब एक घंटा तक पांचो वहीं खडे थे। रात्रि करीब 12 से 01 बजे के बीच विमल तालाब से बाहर निकला और आरोपीगण को देखकर फिर भागने लगा जिसे पांचों पकड़ लिए और मारपीट करते हुये खींचकर मयाराम कर्ष के घर के पास गली में लाये। घटनास्थल के पास गली में संजु कुर्रे एक खपरैल घर से लकड़ी का बत्ता निकाला और विमल के पीठ में मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद नानू बाबू उर्फ संतोष चौहान ने मृतक के सिर पर 2 बार मारा और उसके साथीगण भी हाथ मुक्का एवं बेल्ट से विमल सारथी से मारपीट किये जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लकडी के बत्ते को संजू कुर्रे ने मारपीट के बाद अपचारी बालक को दर्री तालाब में फेंकने को बोलने पर बालक ने बत्ता को तालाब के पास झाडियों (झुरमुट) में फेंक दिया जिसे आरोपियों की निशादेही में जुटमिल पुलिस ने बरामद किया है एवं मृतक के कपड़ों को भी बरामद किया गया है।

घटना के संबंध में पुलिस चौकी जूटमिल थाना कोतवाली में दर्ज अप.क्र. 532/19 धारा 302 भादंवि के मामले में अपचारी बालक सहित आरोपीगण , संजू कुर्रे पिता रूप सिंह कुर्रे उम्र 21 वर्ष निवासी राजीव गांधी नगर, संतोष चौहान उर्फ ननु बाबू उम्र 19 वर्ष निवासी झोपड़ीपारा जूटमिल , सतीश दास महंत पिता प्रकाश दास महंत उम्र 21 वर्ष निवासी झोपड़ीपारा जूटमिल , कपिल सोनी पिता जितेंद्र सोनी उम्र 22 वर्ष निवासी राजीव गांधी नगर जूटमिल को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

ट्रक ड्रायवर से लूटपाट करने वाले 03 युवक गिरफ्तार, भेजे गये रिमाण्ड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड़ पुलिस द्वारा दिनांक 07.07.19 के रात्रि ट्रक ड्रायवर से लूटपाट करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है, आरोपियों से लूटी हुई मोबाईल व 500 रूपये जप्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार ट्रक ड्रायवर कृपाल सिंह कृपाल सिंह निवासी भिलाई कैम्प -1 जिला दुर्ग से दिनांक 06/07/2019 को अपनी ट्रक को स्वयं चलाते हुये अपने खलासी के साथ दुर्ग से जिंदल कम्पनी रायगढ़ गिट्टी लेकर आ रहा था। जिससे दिनांक 07.07.19 के रात्रि करीब 08/30 बजे चिरईपानी से किरोडीमल जाने वाली रोड पर तीन अज्ञात युवक पिस्तौलनुमा औजार दिखाकर मोबाईल और नगदी रकम 500 रूपये की लूटपाट किये थे। घटना के संबंध में थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 179/19 धारा 392 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा माल मुल्जिम की पतासाजी के लिये मुखबिर तैनात किया गया था जिसकी सूचना पर आज दिनांक 09.07.19 को लूटपाट करने वाले आरोपीगण (1) कृष्णा गोंड पिता जगदीश गोंड उम्र 23 वर्ष (2) रोहित शर्मा उर्फ शुभम् शर्मा उर्फ डब्बू शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 20 वर्ष (3) सुधीर कुमार महतो पिता रविन्द्र महतो उम्र 19 वर्ष सभी निवासी किरोडीमल नगर वार्ड क्र. 01 इंदिरा आवास चिराईपानी थाना - कोतरारोड को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लूटी हुई सैमसंग मोबाईल व 500 रूपये नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृ0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में तमाम सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Topper Students Last Session
Tarun 90% Yamini 98%
Shraddha 93% Priyanka 96%
Prerna 84% Hitendra 99%
Akanksha 90% Geetanjali 99%
Chetna 94% Arpita 93%
Arpita 98% Rakesh 97%
Sejal 88% Shiva 97%

CAREER SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session
Sushant 92% Prince 97%
Kusum 98% Abhishek 99%
Aayush 93% Prachi 97%
Tulika 96% Pari 96%
Aradhya 97% Ananya 99%
Ashish 96% Ankita 99%
Join CAREER...

Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480